उत्तर प्रदेश पी0 ए0 सी0 मुख्यालय महानगर लखनऊ–226006

फोन + 91–522–2337455,सीयूजी+ 91–9454404470फैक्स + 91–522–2337453,ई–मेलः sec1@uppac.net वेब uppolice.gov.in

संख्याःपीएसी–1–212–2015(4) दिनांकःमार्च ,2018

सेवा में,

अनुक्रमांक–....................
पुत्र श्री ....
ग्राम ....
जनपद........पिन कोड........ मो0नं0 ....

विषयः प्लाटून कमाण्डर पीएसी के पद पर भर्ती हेतु अनन्तिम चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण हेतु आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद के पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2011)2015 दिनांक 23.02.2017 एवं उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के पत्र संख्या–पीआरपीबी– अनु0–6–प–01/2015 (पार्ट फाइल) दिनॉक–29.11.2016/05.12.2016 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी सूची के आधार पर एवं चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा एवं चरित्र सत्यापन में उपयुक्त पाये जाने के फलस्वरूप स्पेशल अपील (सी) संख्या(एस) 16432/2017 याची दीपक कुमार बनाम अभिषेक कुमार व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.08.2017 व 23.08.2017/स्पेशल लीव पिटीशन संख्या 21843–21844/2015 हनुमान दत्त शुक्ला व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.01.2016 के अनुपालन में आपको प्लाटून कमाण्डर पीएसी के बेसिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये प्रशिक्षण निदेशालय, उ0प्र0 द्वारा सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर आवंटित किया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में **दिनांक 19.03.2018 के सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें। प्रशिक्षण में जाने से पूर्व दिनांक 16.03.2018** को प्रस्तर–2 में अंकित सूचनाओं सहित 35वीं वाहिनी पीएसी, महानगर, लखनऊ में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। 35वीं वाहिनी से आपको निर्धारित तिथि पर प्रशिक्षण संस्थान में भेजा जायेगा।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने के दिनांक से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–01, 02 एवं 03 में क्रमशः रूपये 32/– 42/– एवं 32/– के नानजुडिसियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों (परिशिष्ट–"क") के अनुसार कार्यवाही करें। प्रारूप संख्या–01, 02 व 03 एवं प्रशिक्षण निदेशालय जारी निर्देश, बेवसाइट uppolice.gov.in में पीएसी टैब के अन्दर सरकुलर पर भी उपलब्ध है।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त चयन प्रकिया के सम्बन्ध में समस्त कार्यवाही मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगी।

पुलिस उप महानिरीक्षक, पीएसी
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, ...को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करने एवं इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराते हुये दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, ए0पी0टी0सी0 सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पीएसी मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक– मूल पत्रावली (ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें मूलरूप में क्रमांक– ....से .... तक)

प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती–2011 के अन्तर्गत प्लाटून कमाण्डर पीएसी के पद पर चयनित 72 अभ्यर्थियों की सूची

S.L. NO.	Roll Number	Name of the Selected Candidate	Father Name	HOMEDISTRICT	MOBILE NO.
1	2	3	4	5	6
1	463110192	VINAY KUMAR PANDEY	VIRENDRA KUMAR PANDEY	Pratapgarh	9455046612
2	476060396	RAJSHEKHAR SRIVASTAV	SATISH CHANDRA SRIVASTAV	Deoria	9236723157
3	476080055	AJAY PRATAP SINGH	VIRENDRA SINGH	Deoria	8542936803
4	421040218	PRADEEP KUMAR MISHRA	HANUMAN PRASAD MISHRA	Ambedkar Nagar	9455432220
5	480081099	SATYA PRAKASH PANDEY	RAM BAHADUR PANDEY	Faizabad	9839191846
6	439220102	PRAMOD KUMAR	SHISH PAL SINGH	Bulandshahar	9411619809
7	472120085	DINESH KUMAR	ESVIRI SINGH	Firozabad	8449835909
8	463160494	AMIT KUMAR SINGH	RAM BUX SINGH	RaiBareli	8419001559
9	439230046	SHYAM BIR SINGH	OMPAL SINGH	Bulandshahar	9058689041
10	414290115	AVADHESH KUMAR SINGH	KANHAIYA SINGH	Varanasi	8989218570
11	421040220	ALOK KUMAR TIWARI	SURESH CHANDRA TIWARI	Ambedkar Nagar	9838913112
12	474080145	MANOJ KUMAR PATHAK	RAMESHWAR DAYAL	Aligarh	9720038667
13	477130922	GAJENDRA	JAI KUMAR SHARMA	Bagpat	7895429734
14	465140048	NITESH KUMAR SINGH	MAHENDRA PRATAP SINGH	Basti	9695333469
15	423170159	KRISHNA NAND SINGH	BANSH NARAYAN SINGH	Baxar Bihar	9199792576
16	463090063	ALOK KUMAR SINGH	RAM BUX SINGH	Pratapgarh	9415155711
17	465050390	SHREERAM RAI	AKHILESH RAI	Baxar Bihar	8651444495
18	449180517	VEER BAHADUR SINGH	SHAMSHER SINGH	Unnao	9336335940
19	414130149	VIKASH SINGH	JEETENDRA PRATAP SINGH	Pratapgarh	9170029649
20	474170112	RAHUL KUMAR CHAUHAN	PARDEEP KUMAR	SHAMLI	8279464946
21	47140406	KRISHNA KUMAR SINGH	RAM EKBAL SINGH	Balia	9161607407
22	475090376	KULDEEP PANDEY	ONKAR NATH PANDEY	Basti	9919533199
23	473030272	KRISHNA KANT	MAHESH CHAND	Agra	9457620806
24	423080305	DINESH SHARMA	HARISH CHAND SHARMA	Gautam Buddha Nagar	9717208972

(जय प्रकाश सिंह)
अपर पुलिस अधीक्षक
पी०ए०सी० मुख्यालय, उ०प्र०

5	455050609	MANISH KUMAR TRIPATHI	KAILASH NATH TRIPATHI	Mirzapur	9628701889
26	440050339	SHIV KUMAR	RAM VILASH DUBE	Etah	9456606800
27	424070049	YASHDEEP UPADHAYAY	BRIJ MOHAN UPADHAYAY	Bareli	7500150067
28	474070637	DEESHU KUMAR SHARMA	DORI LAL SHARMA	Aligarh	9557915137
29	474080066	ARUN UPADHYAY	SUBHASH UPADHYAY	Aligarh	8534921392
30	475010179	AJAY KUMAR AWASTHI	KAPIL DEV AWASTHI	Behraich	8957703144
31	475030039	ANUJ KUMAR SHARMA	RAM PRATAP SHARMA	Behraich	9889024102
32	414020133	MD JULFEKAR ALI	MD MAHTAB KHAN	Ghazipur	8299669271
33	478060607	SHAILENDRA SINGH	YOGENDRA NATH SINGH	Azamgarh	9452697354
34	480081096	DINESH KUMAR PANDEY	RAM MURAT PANDEY	Faizabad	9936614146
35	475080121	KSHAMA NIDHI	MAHENDRA PRATEP	Basti	8874021272
36	423050043	UTTAM PRAKASH SINGH	KUNWAR PAL SINGH	Badaun	9997758027
37	459011679	RANJIT KUMAR TIWARI	SUSHIL KUMAR TIWARI	Ghazipur	9450890300
38	476210484	RANA PRATAP SINGH	TEJ PRATAP SINGH	Sant Kabir Nagar	9198172486
39	473090325	DEEPAK TIWARI	K B TIWARI	Agra	9675221010
40	412060655	APOORV MISHRA	ARVIND KUMAR MISHRA	Jalaun	8823041429
41	439280134	SUBODH KUMAR SINGH	RAMAKANT SINGH	Other States, BIHAR	7827408817
42	439080493	LOKESH KUMAR	JAIPAL SINGH	Bijnor	9411951012
43	440030099	RAGHVENDRA SINGH CHAUHAN	OM VEER SINGH CHAUHAN	Etah	8923670187
44	449140141	VINAY KUMAR PANDEY	SURENDRA KUMAR PANDEY	Sitapur	9794158571
45	462060514	MUNENDRA PRATAP SINGH RATHORE	GULAB SINGH RATHORE	Etah	8004205005
46	47140489	AVANIT KUMAR OJHA	NARENDRA DEO OJHA	Balia	7785067562
47	480080973	SAURABH TRIPATHI	KAMLESH TRIPATHI	Faizabad	8176877871
48	439240041	KAPIL KUMAR RAGHAV	YOGENDRA SINGH	Bulandshahr	9759576601 9758004076
49	421060049	PANKAJ KUMAR MISHRA	INDRA MANI MISHRA	Ambedkar Nagar	9792388860
50	47140606	KAMLESH PANDEY	BIKRAM PANDEY	Balia	8739007612 7985649861

([illegible])
अपर पुलिस अधीक्षक
पी०ए०सी० मुख्यालय, उ०प्र०
लखनऊ।

51	480040168	ASHISH KUMAR PANDEY	KAMLESH CHANDRA PANDEY	Allahabad	8318924833
52	462100009	VIMAL CHANDRA TIWARI	BADRI PRASAD TIWARI	Fatehpur	8801611930
53	462380064	ASHOK KUMAR MISHRA	DEV PRABHAKAR MISHRA	BALRAMPUR	9140393640 7572013275
54	441080298	ALOK KUMAR SINGH	TRIBENI SINGH	JAUNPUR	9696969623
55	462090816	SURAJ PANDEY	SHIV KUMAR PANDAY	FATEHPUR	9455680051
56	441160357	VINAYA KUMAR PANDEY	GULAB PANDEY	SONBHADRA	9651945805
57	412060446	RAHUL KUMAR GUPTA	ARUN KUMAR GUPTA	JALAUN	9598479343 8318718545
58	462110501	SHIVENDRA KUMAR SINGH	CHANDRA MURARI	KANPUR NAGAR	8381916907
59	480101485	PAWAN KUMAR PANDEY	SHIV KUMAR PANDEY	SULTANPUR	8765889471
60	455060448	MANISH KUMAR SINGH	RAJMANI SINGH	MIRAZAPUR	9532022876
61	475020182	PRAMESH KUMAR PATHAK	SATGURU PRASHAD PATHAK	BAHRAICH	9453413191
62	465050090	SAVED AHMAD	JAVED AHAMAD	GONDA	9161642256
63	453040243	MOHIT KUMAR	BRIJ RAJ SINGH	GAZIABAD	9457587382
64	429090322	ARUNENDRA PRATAP SINGH	JITENDRA PRATAP SINGH	ALLAHABAD	7398480299
65	423080377	DEVENDER RAJPUT	KAILASH CHAND	GAOTAMBUDH NAGAR	9910971733
66	424200486	MANISH KUMAR VISHNOI	RISHI RAJ SINGH	MORADABAD	9125713200
67	476070405	AVINASH KUMAR MALL	LAKSHMI PRASAD MALL	DEORIA	9532417032
68	455010426	MANISH KUMAR DUBEY	VIJAY SHANKAR DUBEY	CHANDOLI	9451344043
69	477200593	KAPIL KUMAR	BRAHM PRAKASH DAHIYA	MEERUT	9368153093
70	449180980	ADITYA KUMAR GUPTA	SUNIL KUMAR GUPTA	UNNAO	8399951567
71	421040433	PREM PAL SINGH	DHARM PAL SINGH	AMABEDAKAR NAGER	7800169106
72	465140419	DHANANJAY KUMAR SHUKLA	DIWAKAR SHUKLA	GORAKHAPUR	9415329601

अपर पुलिस अधीक्षक
पी०एसी० मुख्यालय, उ०प्र०
लखनऊ।

परिशिष्ट "क"

पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्याः प्रनि–प–82–2014(एसआई सीधीभर्ती) दिनॉक 18–10–2015 के माध्यम से प्राप्त निर्देश।

(1) प्रशिक्षण केन्द्र में किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ/शराब का सेवन वर्जित होगा।

(2) पान व पान मसाला व गुटखा खाकर क्लास रूम में नहीं जायेगें तथा हास्टल की दीवारों को गन्दा नहीं करेगें। अनुशासित ढंग से रहेगें। अनुशासनहीनता का कोई भी प्रकरण सामने आने पर ऐसे कर्मी को तत्काल प्रशिक्षण केन्द्र से वापस कर दिया जायेगा।

(3) परेड ग्राउण्ड व क्लास रूप में मोबाइल लेकर नहीं जायेंगे। अपना मोबाइल हास्टल में रखेंगे।

(4) प्रशिक्षण केन्द्र के अधिकारियों के आदेशों का पालन करेंगे।

(5) प्रशिक्षण में जाते समय मौसम के अनुसार कपड़े, बिस्तर एवं मच्छरदानी आदि लेकर अवश्य जायें।

(6) प्रशिक्षण केन्द्र पर प्रशिक्षण से सम्बन्धित वर्दी तथा प्रशिक्षण सामग्री क्रय हेतु पर्याप्त मात्र में धनराशि तथा मेस एण्डवान्स के लिये पर्याप्त धनराशि लेकर जायेंगे।

———

प्रशिक्षण संस्थान में खेल, साज–सज्जा तथा अन्य व्ययों तथा वृत्ति(स्टाईपेण्ड) को प्रशिक्षण काल में दिया जाएगा, के सम्बन्ध में विद्यार्थी (कैडेट) के माता पिता, संरक्षक या मित्र (प्रतिभू) के हस्ताक्षर हेतु बन्ध पत्र।

प्रतिभू चूँकि मैं...आत्मज...का नाम जिला...का निवासी हूँ और चूँकि पुलिस सेवा के हेतु अध्ययन के प्रयोजनार्थ ए0पी0टी0सी0. ....में विद्यार्थी भर्ती होने के लिय उत्तर प्रदेश शासन में श्री...आत्मज...निवासी...को चुना है और उसने सरकार की सेवा को वरण किया है।

अतएव यह बन्ध पत्र दिनॉक.................................जो उक्त.....................................के निमित्त प्रतिभू...प्रथम पक्ष तथा राज्यपाल उत्तर प्रदेश द्वितीय पक्ष के मध्य में निस्पादित हुआ है। इस बात का साक्षी है कि उक्त.............के उक्त कालेज में शिक्षा प्राप्त करने के प्रतिफलस्वरूप उक्त..इस बन्ध के दिनांक से उक्त कालेज में परिश्रम पूर्वक अध्ययन करते हुए तब तक रहेगी जब तक पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक, पी0ए0सी0, उ0प्र0 या उक्त कालेज के प्रधानाचार्य उसे अपनी शिक्षा छोड़ने की अनुमति न प्रदान करें, और वह उक्त कालेज से सम्बन्धित विद्यार्थियों (कैडेट) के लिये निर्धारित नियमों का सच्चे हृदय से पालन करेगा। उक्त...का उक्त अवस्था कि उक्त..................................विद्यार्थी(कैडेट)।

1–उक्त प्रशिक्षण में असफल रहे अथवा प्लाटून कमाण्डर की परीक्षा पास न करें।
2–प्रशिक्षण से त्याग पत्र दें।
3–दुर्घटना ग्रस्त होने पर उक्त परीक्षण अथवा सेवा से हटा दिया जाय।
4–उक्त कालेज से सम्बन्धित विद्यार्थियों (कैडेट) के लिये निर्धारित नियमों का पालन न करें अथवा इन नियमों के आधीन उक्त कालेज से बहिस्कृत अथवा पृथक किया जाय।
5 प्रशिक्षण के पश्चात 01 वर्ष के अन्दर ही नौकरी से त्याग पत्र दे दें।
6–साज सज्जा की पूर्ण धनराशि वसूल किये जाने के पूर्व वह त्याग पत्र देदें।
7–उक्त कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा उनके चरित्र व पूर्व वृत्त के सन्तोषजनक न पाये जाने पर कालेज से बहिष्कृत या प्रथक किये जाय तो ऊपर लिखित किसी भी दशा में उक्त कैडेट उत्तर प्रदेश शासन को निम्नलिखित के अनुसार धनराशि देने के लिये वचन बद्ध है:–

1–वह सब धनराशि जो साज सज्जा वस्तु अथवा अन्य वस्तुओं के सम्बन्ध में उससे देय पायी जावें।
2–वह सब धनराशि जो उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उसे वृत्ति (स्टाईपेण्ड) के रूप में दी जाय।
3–वह सब धनराशि जो उत्तर प्रदेश शासन ने उक्त प्रशिक्षण प्राप्त करने में व्यय की हो।
4–और उत्तर प्रदेश शासन को अधिकार होगा कि उक्त धनराशि कैडेट अथवा उसके प्रतिभू से उत्तर प्रदेश शासन के प्रशासकीय विभाग के सचिव प्रमाण पत्र पर जो उक्त कैडेट पर बाध्य कर एवं अन्तिम होगा माल गुजारी की भाँति वसूल होगा।

साक्षी

1– .... हस्ताक्षर.....................................

2– .... दिनॉक.....................................

स्थान.....................................

प्रारूप–02

प्रशिक्षण संस्थान के विद्यार्थी (कैडेट) के हस्ताक्षर कराने के लिये अन्य पत्र

मै ....आत्मज..को.. ....जिला............................का निवासी हूँ।......................स्थिति ए0पी0टी0सी0 में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये वर्ष............ में चुना गया हूँ। (जिसे आगे कैडेट कहा गया है)

उक्त कैडेट राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के साथ प्रसंविदा करता है कि उक्त कालेज में प्रशिक्षण प्राप्त करते समय उक्त कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा समय–समय पर जो भी साज–सज्जा उसे मिलेगी और जिसके निमित्त वह कोई धनराशि न दें, और जिसके मूल्य के सम्बन्ध में उसे यथासमय सूचना दी जाय, उसका वह उस अवस्था में जबकि वह सफल हो जाये और किसी जिले में नियुक्त हो जाये सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान 12 मासिक किश्तों में कर देगा और इनके निमित्त वह एकाउन्टेन्ट को एतद्द्वारा प्राधिकृत करता है कि वह इस धनराशि को उसके उस वेतन से काट लिया जाए वह जिस जिले में सेवा प्रारम्भ करें।

उक्त कैडेट को त्याग पत्र देने, अध्ययन बन्द कर देने या पदच्युत किए जाने पर यह विकल्प होगा कि वह या तो उन वस्त्रों और अन्य वस्तुओं को जिन्हें उक्त प्रधानाचार्य ने उसे कालेज में प्रवेश करने के समय दिये हों अथवा जो बाद में कालेज स्टोर से मिलें हों अपने पास रखें या वह उन्हे ऐसे मूल्य पर, जिसे उक्त प्रधानाचार्य निश्चित करें, प्रधानाचार्य के हाथ बेच सकता है।

उक्त कैडेट राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश से यह भी प्रसंविदा करता है कि यदि वहः–

1–उक्त प्रशिक्षण में असफल रहे अथवा कि प्लाटून कमाण्डर की परीक्षा पास न करे।
2–प्रशिक्षण से त्याग पत्र दे दें।
3–दुर्घटना ग्रस्त होने पर उक्त प्रशिक्षण अथवा सेवा से हटा दिया जाय।
4–प्रशिक्षण काल में पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक, पी0ए0सी0, उ0प्र0 अथवा उक्त कालेज के प्रधानाचार्य की बिना पूर्व अनुमति के उक्त कालेज छोड़कर चला जाए या शिक्षा बन्द कर दे।
5–उक्त कालेज से सम्बन्धित विद्यार्थियों (कैडेट) के लिये निर्धारित नियमों को पालन न करें, अथवा इन नियमों के अधीन उक्त कालेज से बहिस्कृत अथवा पृथक किया जाय।
6–प्रशिक्षण के पश्चात एक वर्ष के अन्दर ही नौकरी से त्याग पत्र दे दें।
7–साज सज्जा की पूर्ण धनराशि वसूल किए जाने के पूर्व वह त्याग पत्र दे दें।
8–उक्त कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा उनके चरित्र व पूर्ववृत्त के सन्तोषजनक न पाये जाने पर कालेज से बहिष्कृत या पृथक किया जाय तो ऊपर लिखित किसी भी दशा में उक्त कैडेट उत्तर प्रदेश शासन को निम्नलिखित के अनुसार धनराशि देने के लिये वचनबद्ध हैः–

1–वह सब धनराशि जो साज–सज्जा वस्तु अथवा अन्य वस्तुओं के सम्बन्ध में उससे देय पायी जाय।
2–वह सब धनराशि जो उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उसे वृत्ति (स्टाईपेण्ड) के रूप में दी जावे।
3–वह सब धनराशि जो उत्तर प्रदेश शासन ने उसे उक्त प्रशिक्षण प्राप्त करने में व्यय की हो और उत्तर प्रदेश शासन को अधिकार होगा कि उक्त धनराशि उक्त कैडेट अथवा उसके प्रतिभू से उत्तर प्रदेश शासन के प्रशासकीय विभाग के सचिव के प्रमाण–पत्र पर जो उक्त कैडेट पर बाध्य कर एवं अन्तिम होगा। मालगुजारी की भाँति वसूल होगा।

साक्षी

1– .... हस्ताक्षर..

2– .... दिनाँक..

स्थान..

शपथ पत्र का प्रारूप

नाम ....उम्र लगभग......................वर्ष पुत्र श्री.............................. निवासी: ग्राम / मुहल्ला / मकान सं0...डाकघर.......................विकास खण्ड.......... ....थाना...................तहसील............................जिला..................................(पिन कोड...............) का शपथ पत्र।

मैं ....उपर्युक्त अभिसाक्षी शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि:–

मैं उत्तर प्रदेश सरकार के पुलिस विभाग में प्लाटून कमाण्डर के पद पर नियुक्ति हेतु जिला.................. से एक अभ्यर्थी हूँ तथा मेरा अनुकमांक............................... है। मेरे विरूद्व कोई आपराधिक मुकदमा / मामला मेरी जानकारी में कभी पंजीकृत नही हुआ है और न ही वर्तमान में कोई आपराधिक मुकदमा / मामला प्रचलित / लम्बित है और नही कोई पुलिस विवेचना (Investigation) लम्बित / प्रचलित है।

यदि भविष्य में उपरोक्त उल्लिखित तथ्य कभी भी गलत पाये जाये तो मुझे प्लाटून कमाण्डर पीएसी के प्रशिक्षण / सेवा से तुरन्त पृथक कर दिया जाय।

शपथकर्ता का निशान अंगूठा | शपथकर्ता

मैं............................... उपर्युक्त अभिसाक्षी, शपथपूर्वक सत्यापित करता हूँ कि उल्लिखित तथ्य मेरी व्यक्तिगत जानकारी तथा विश्वास में सत्य हैं। उल्लिखित तथ्य सूचनाओं पर आधारित हैं तथा जिन्हें मैं विश्वास करता हूँ कि वह भी सत्य है इसका कोई अंश असत्य अथवा झूठा नही है तथा कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया नहीं गया है। ईश्वर मेरी रक्षा करें।

अभिसाक्षी

आज दिनाक.........................को ....पूर्वान्ह / अपरान्ह में सिविल कोर्ट जिला प्रांगण में अभिसाक्षी द्वारा सत्यापित किया गया।

अभिसाक्षी / शपथकर्ता